

संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

31 मई तक मेगा प्लेसमेंट कैम्प द्वारा 3 हजार 26 पदों पर भर्ती

कोंडागांव, 26 मई। कोंडागांव जिले के शिक्षित युवक-युवतियों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से मेगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन कलेक्टर दीपक सोनी के निदेशानुसार जिला प्रशासन, जिला रोजगार और स्वरोजगार केन्द्र व मांडल कैरियर सेंटर कोंडागांव द्वारा किया जा रहा है। जिसके तहत 7 निजी संस्थाओं द्वारा 17 विभिन्न पदों पर 3 हजार 26 युवाओं को भर्ती करने हेतु कैम्प में भाग लिया जा रहा है। इसके तहत 26 से 31 मई तक विभिन्न स्थानों पर प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किए जाएंगे। जिसके तहत 26 मई को स्वामी आत्मानंद स्कूल केशकाल, 27 मई को स्वामी आत्मानंद स्कूल विश्रामपुरी, 29 मई को शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरसागांव, 30 मई को शासकीय आईटीआई माकड़ी में प्लेसमेंट कैम्प और रोजगार मेले का आयोजन 31 मई को लाइवलीहुड कॉलेज कोंडागांव में किया जाएगा। इसमें आरव एजुकेशनल एण्ड इम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन, केम्पन फैसिलिटिस मैनेजमेंट लिमिटेड, गार्डियन सिस्क्योरिटी लिमिटेड, मिलेनियम स्कूल एग्सेसर प्रावेट लिमिटेड, टच स्टोन टेली सर्विसेज प्रावेट लिमिटेड, एसएस डीजलस, नियारा एचआर सॉल्यूशन संस्थाएं शामिल होंगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार केन्द्र में सम्पर्क किया जा सकता है।

गरियाबंद जिला निषाद समाज चुनाव 28 मजरकटा में

फिंगोश्वर-छत्तीसगढ़ निषाद समाज प्रांताध्यक्ष कुंवर सिंह निषाद जी के मार्गदर्शन प्रदेश संरक्षक आदरणीय एमएमआरनिषाद उप संगठन प्रमुख अशोक निषाद एवं महासचिव मनोहर निषाद की देखरेख में गरियाबंद जिला निषाद समाज का चुनाव 28 मई को प्रातः 10 बजे से 04 बजे तक समय निर्धारित है। मतदान निषाद समाज सामुदायिक भवन मजरकटा, गरियाबंद में होगा उक्त चुनाव में विभिन्न पदों पर मतदान किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव महासचिव कोषाध्यक्ष सह सचिव अंकेक्षक महिला उपाध्यक्ष महिला सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचन किया जायेगा चुनाव को लेकर व्यापक रूप से तैयारी की गई है चुनाव पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा जिसकी व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। वही अध्यक्ष पद के लिए निषाद समाज जिला गरियाबंद से दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिसमें सरकड़ा निषाद निषेधर निषाद व बरभाटा निवासी दानसिंग निषाद के बीच सीधा मुकाबला है।

अचानक सिरीखुर्द स्कूल पहुंचे राजिम एसडीएम और बीईओ

नवापारा राजिम - समीपस्थ ग्राम सिरीखुर्द स्कूल में अचानक राजिम के एसडीएम पूजा बंसल और साथ में बीईओ रमेश जोशी पहुंचे, स्कूल में एसडीएम पूजा बंसल ने बच्चों से चर्चा की और अच्छे से पढ़ने की बात कही वही शिक्षक खोमन सिन्हा के कार्य को देख एसडीएम बंसल ने सम्प्र क्लास को लेकर शिक्षक खोमन सिन्हा की प्रशंसा की।

न्यायालय नायब तहसीलदार पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) ईशतहार रा.प्र.क्र. ब 121 वर्ष 23-23 ग्राम-उदका एतद् द्वारा सर्वसाधारण नाम उदका को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रेमसिंग पिता बादराम जाति गोड सावित्रिका उदका तहसील पंडरिया जिला कबीरधाम के द्वारा अपने माता अमोरतिन बाई पति बादराम जाति गोड सावित्रिका उदका को मृत्यु दिनांक 05.04.2003 को ग्राम उदका में हुआ था, जिसका मृत्यु पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतएव जिस किसी व्यक्ति को आवेदक के आवेदक पत्र दिनांक 09.06.2023 तक स्वयं या अपने अधिभाषक के माध्यम से दावा-आपत्ति करना चाहे तो प्रस्तुत कर सकते हैं नियत तिथि के पश्चात प्रस्तुत दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे न्यायालय की मुहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार पण्डरिया जिला-कबीरधाम (छ.ग.) मुहर

भाजपा 15 साल तक प्रदेश में विकास नहीं सभी वर्गों का शोषण किया

भाजपा की जाबो गौठान, खोलबो पोल अभियान केवल राजनैतिक नौटंकी - चंदन कश्यप

स्वदेश संवाददाता, भानपुरी/नारायणपुर नारायणपुर विधायक एवं छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने प्रेस नोट जारी करते हुए भाजपा के द्वारा जाबो गौठान, खोलबो पोल अभियान को राजनैतिक नौटंकी के बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजना रनरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजनाएं प्रदेश में सकारात्मक रूप से ऐतिहासिक एवं रचनात्मक पहल है। प्रदेश के

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का परिणाम है कि आज नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना की तारीफ देश विदेश में हो रही है। किंतु मुद्दा विहीन भाजपा के नेताओं को यह सब नहीं दिखती क्योंकि उन्होंने 15 साल तक प्रदेश में विकास ही नहीं किया केवल प्रदेश के सभी वर्गों का शोषण करते हुए छल किया। आज भाजपा के नेता सत्ता में नहीं है तो प्रदेश के आदिवासी, किसान, युवा और महिलाओं के लिए धड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि



नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना के तहत प्रदेश के सभी पंचायतों में गौठान का निर्माण कर स्व सहायता महिला समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है हम राजीव गांधी गौधन न्याय योजना के माध्यम से आज गौठान गौठानों में गोबर खरीदी कर रहे हैं। प्रदेश के किसानों का धान 25 सौ रूपी प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं, युवाओं को प्रति माह 25 रूपी बेरोजगारी भता दे रहे हैं। इसकी सराहना करना छोड़ भाजपा के नेता सस्ती

लोकप्रियता पाने गौठानों में जाकर फोटो खिंचवा कर राजनैतिक नौटंकी कर रहे हैं। आज चुनाव नजदीक आते ही गौठानों में जाकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भाजपा की नीति और कार्यों से भलीभांति परिचित हो चुकी है कि भाजपा की शासन में रतनजोत पोषे रोपण कार्य और शोचालय निर्माण कार्य की योजना बुरी तरह से गांवों में असफल हुई है अब लोग उनके झांसे में आने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता उन्हें पुनः जवाब जरूर देगी।

झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि नवापारा राजिम - नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में झीरम घटना में शहीद हुए स्वर्गीय नंद कुमार पटेल स्वर्गीय विद्या चरण शुक्ला सहित दिवंगत नेताओं को उनके छायाचित्र के सामने मोमबत्ती जलाकर तथा 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी ब्लाक कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सौरभ शर्मा नगर पालिका उपाध्यक्ष चतुर जगत पार्षद गण अजय साहू हेमंत साहनी अर्जुन साहू अनूप खरे आदि उपस्थित थे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने विद्युत उपकेंद्र दिघवाड़ी का किया शुभारंभ

वर्नाचल के आखिरी छोर तक पहुंचेगी निर्बाध बिजली



स्वदेश संवाददाता, बालोद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के तहत विभागीय संचारण-संधारण संग्राम बालोद के वितरण केंद्र भरीटोला के अंतर्गत वर्नाचल के बीच स्थित ग्राम दिघवाड़ी में आज नये 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र (सबस्टेशन) का शुभारंभ

किया गया। उपकेंद्र का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया के करकमलो द्वारा किया गया। श्रीमती भेड़िया ने हर्ष व्यक्त करते हुए विद्युत कंपनी एवं अन्य ग्रामीणों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्नाचल में विद्युत व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए और ग्रामीणों की मांग पर शासन के सहयोग से

यहां सबस्टेशन बनने का कार्य पूर्ण हो सका। उन्होंने ग्रामीणों को बधाई देते हुए कहा कि दिघवाड़ी में नया उपकेंद्र बन जाने से 18 ग्रामों के उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें लो-वोल्टेज एवं विद्युत व्यवधान से भी निजात मिलेगी। अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों को विद्युत संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि नये 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र दिघवाड़ी का कार्य मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के तहत लगभग 02 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। उक्त उपकेंद्र के अंतर्गत ग्राम दिघवाड़ी, जिलेवाही, काकड़कसा, आमाडुला, चिहारे, किसनपुरी, मथेना, पुतरवाही, बोहारडीह, धवनपारा, साल्हे(आ.), मरदेल्, जबकसा, मगरदाह, रजोलीडीह, नरालगुण्डा, पेटेचुवा एवं पुसावड सहित 18 ग्रामों के 1918 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में अध्यक्ष जनपद पंचायत डौण्डी श्रीमती बसंती दुर्गा, मंत्री प्रतिनिधि डौण्डीलोहारा विधानसभा श्री पीयूष सोनी, श्रीमती करिश्मा सलामे, श्री कोमेश कोराम, श्रीमती रमिता मरकाम, श्री छबिलाल मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं सीएसपीडीसीएल के कार्यपालन अभियंता श्री टी.एन.सहारे, सहायक अभियंता श्री आर.सी.साहू एवं एच.के.हिरवानी, कनिश्ठ अभियंता श्री विशाल विक्रम सिंह तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। दिघवाड़ी में नया उपकेंद्र बन जाने से ग्रामीण एवं क्षेत्र की जनता हर्षित हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन एवं पावर कंपनी का आभार व्यक्त किया है।

बैंक मैनेजर और ट्रैफिक पुलिस की ली संयुक्त बैठक

बैंकों के सामने एक सप्ताह में पार्किंग व्यवस्था को करें दूरस्त, नहीं तो होगी कार्रवाई - नपाध्यक्ष



शहर की पार्किंग व्यवस्था को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने ट्रैफिक पुलिस और बैंक मैनेजर्स की संयुक्त बैठक ली। बैठक में बैंकों के सामने अव्यवस्थित पार्किंग से उपज रही समस्या को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान नपाध्यक्ष ने बैंक मैनेजर्स से व्यवस्था सुधारने में सहयोग का आग्रह किया है। नगर पालिका के सभाकक्ष में पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस और बैंक मैनेजर्स की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में शहर के मुख्य मार्गों पर बैंकों के सामने बेतरतीब पार्किंग से ट्रैफिक से हो रही अव्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान नपाध्यक्ष राशि महिलांग ने कहा कि अपने अपने बैंकों के सामने वाहनों की पार्किंग दुर्घटना को आमंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कई दफा मैन रोड पर बैंकों के सामने हादसा हुआ है और ऐसे हादसे को रोकने की दिशा पर सभी का सहयोग अपेक्षित है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने

कहा कि बैंकों को जो भी मदद चाहिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु करने के लिए सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त एक ऐसा भी गार्ड बैंकों में होना चाहिए जो सिर्फ पार्किंग व्यवस्था को देखे। अन्यथा बैंक आने वाले खाता धारकों के वाहनों को जबरन करने की कार्यवाही ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जाएगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी बैंकों की होगी। उन्होंने रायपुर रोड पर स्थित बस स्टैंड के पास और कलेक्ट्रेट रोड पर बैंकों के सामने बेतरतीब पार्किंग पर चिंता जताई है। उन्होंने बैंक मैनेजर्स को सुझाव दिए हैं कि बैंकों के सामने पार्किंग स्थल के दिशा सूचक बोर्ड लगाए। इससे लोगों में धीरे धीरे जाने लगे और पार्किंग व्यवस्था भी सुधरेगी। उन्होंने अंत में कहा कि बहुत जल्द पालिका द्वारा मुख्य मार्गों पर लाइन खींची जाएगी। इसके बाद भी सड़क पर पार्किंग किया जाता है तो पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर पार्षद यातायात, रिस्क चंद्रकार, गोलू मदनकार, पालिका पुलिस से श्री दुबे, राजेश्वर प्रभारी दिलीप चंद्रकार, गुमान सिंह धुव सहित समस्त बैंक मैनेजर मौजूद थे।

जोगी कांग्रेस ने घेरा डिवीसन कार्यालय

स्वदेश संवाददाता, कवर्धा कुंडा पंडरिया बिजली की समस्या लगातार अपने कंज्यूमरों को रूलाते लगी है, शीघ्र गमी के महीने के कभी भी बिजली बन्द होना, घण्टों तक वापस न आना जनता की परेशानियों को बढ़ा रहा है इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर जोगी कांग्रेस द्वारा डोमसरा (पंडरिया) स्थित डिवीसन कार्यालय का घेराव कर विद्युत विभाग के चैयरमैन के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। जोगी कांग्रेस के युवा नेता रवि चंद्रवंशी ने बताया की बिजली विभाग अपने कंज्यूमर (ग्राहकों) से पैसा तो पूरा लेती है पर बिजली सुविधा के नाम पर फिस्सडी साबित हो रही है इतने बड़े पंडरिया डिवीसन में जहाँ 4से 5 जे ई होने चाहिए वहाँ 1 जे ई से काम ले रहे है, विद्युत व्यवस्था सुधार करने के लिए सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी होने चाहिए पर इनके पास गिनती ले मात्र 10 कर्मचारी होंगे, बिजली विभाग द्वारा साल डर साल मानसून के पहले मेंटनेस के नाम पर करोड़ों रूपये जारी होता है परन्तु उसको उच्च अधिकारियों के द्वारा कागजपेपर में काम दिखाकर गटक लिया जा रहा है।

0 बालोद। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी गौधन न्याय योजना के अंतर्गत जिले के बालोद विकासखण्ड के आदर्श गौठान बरही में स्थापित की गई प्राकृतिक पेट ईकाई से निर्मित की जाने वाली गोबर पेट से जिले के शासकीय एवं भवन बेहतर निरवेश के साथ सुसज्जित हो रहे हैं।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा, जिला बालोद (छ.ग.)

फोन नं. 07748-286524 E-mail: mcdallirahhara@gmail.com क्रमांक/697/राजस्व/नपा.पा./2023-24 दल्लीराजहरा, दिनांक 26/5/23 ईशतहार नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत हक अंतरण (नगर पालिका अभिलेख में नाम परिवर्तन का 50 रूपये के स्टाम्प पेपर में विक्रय इकरार नामा पत्र) हेतु निम्न क्षेत्रान्तर्गत वार्ड क्रमांक 24 लक्ष्मी बाई वार्ड दल्लीराजहरा का विचर भूमि पर स्थित मलबा/स्ट्रैक्चर कच्चा आवास 208 वर्ग फीट आवास निर्मित है। विक्रता श्री कन्हैया लाल साहू पिता यशवन्त कुमार साहू एवं क्रेता श्री शंकर लाल पिता सुखी राम है। विक्रता का नाम काटकर क्रेता का नाम संपत्तिकर/समकितकर सर्वे पंजी/मांग पंजी में नाम दर्ज किया जाना है। उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को दावा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रकाशन दिनांक से 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, दल्लीराजहरा

कार्यालय, नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा, जिला बालोद (छ.ग.)

फोन नं. 07748-286524 E-mail: mcdallirahhara@gmail.com क्रमांक/725/राजस्व/नपा.पा./2023-24 दल्लीराजहरा, दिनांक 26/5/23 ईशतहार नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत हक अंतरण (नगर पालिका अभिलेख में नाम परिवर्तन का 50 रूपये के स्टाम्प पेपर में सहमति पत्र/शपथ पत्र के आधार पर) हेतु निम्न क्षेत्रान्तर्गत वार्ड क्रमांक 04 एकदल्य नगर वार्ड दल्लीराजहरा का विचर भूमि पर स्थित मलबा/स्ट्रैक्चर 720 वर्ग फीट जमीन पर पक्का सौट आवास का सहमति पत्र दिया गया है। सहमति पत्र/शपथ पत्र देने वाली श्रीमति बुधाबाई गौर पति परसदी राम गौर सहमति पत्र/शपथ पत्र पाने वाली श्रीमति च्योति रावटे पति विमन लाल रावटे को सहमति पत्र/शपथ पत्र के आधार पर संपत्तिकर/समकितकर सर्वे पंजी/मांग पंजी में नाम दर्ज किया जाना है। उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को दावा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रकाशन दिनांक से 15 दिन के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, दल्लीराजहरा

न्यायालय तहसीलदार, कुण्डा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

ईशतहार एतद् द्वारा सर्वसाधारण ग्राम गिरधारीकापा को सूचित किया जाता है कि आवेदक विकेश आ. श्री सुरेश कुमार जाति सतनामी निवासी ग्राम गिरधारीकापा तहसील कुंडा जिला कबीरधाम छ.ग. के द्वारा अपने स्वयं विकेश श्री पिता सुरेश कुमार का जन्म दिनांक 04/03/2000 को ग्राम गिरधारीकापा में हुआ है। जिसका जन्म प्रमाण पत्र पंजीयन कराने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 31/05/2023 तक मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं या अपने अधिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 16/05/23 को मेरे न्यायालय की मुहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया। तहसीलदार कुण्डा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) मुहर

POONAWALLA HOUSING FINANCE

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिकृत ऑफिस : 602.6वां तल जौरी वन आई टी पार्क एसआर नं. 79/1 घोरघडी, मुंबा रोड, एण्ड - 411036 शाखा कार्यालय : यूनिट-एफफक 11, कुर्वे तल, मिरांडा हाईट, एलआइसी स्क्वायर के पास, ख.नं. 10/12, सौदी सर्वे नं. 1870 सैट नं. 137/29 मोजा सीतलवूडी, नामपुर 440001 महाराष्ट्र. सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री एतद्वारा सामान्य रूप से सार्वजनिक रूप से और उधारकर्ता/असह-बोयर्स/जमानतदारों को विवेक रूप से सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संपत्ति, मेम्मा हाउसिंग फाइनेंस के पास गिरी रखी गई वृत्त को अब निगमन प्रमाणपत्र के तहत पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएचएफएल) के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(14) के तहत पीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसे हम कार्यालय के माध्यम से बेच सकते हैं लातू शुद्ध शुद्ध और निमत के साथ PHFL की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दी गई शर्तों का उल्लेख किया गया है। वर्गीकृत बेची गई प्रतिभूति हित (प्रवृत्त) नियमावली के नियम 8 और 9 के तहत बिना संसाधन के जो जहाँ है जैसा है उस अनुसार बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया PHFL / सिरावोर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट - www.poonawallahousing.com में दिए गए लिंक को देखें।

L&T Finance Limited Registered Office: 15th Floor, P5 Srijan Tech Park Plot No. 52, Block DN, Sector V, Salt Lake City Kolkata 700 091, District 24-Parganas North. CIN No.: U65910WB1993FLC06810 Branch office: Raipur. POSSESSION NOTICE [Rule-8(1)] Whereas the undersigned being the authorized officer of L&T Finance Limited (erstwhile, L&T Housing Finance Ltd) has been Merged with L&T Finance Ltd under the Scheme of Amalgamation by way of merger by absorption approved by the NCLT Mumbai as well as NCLT Kolkata, L&T Housing Finance Limited has merged with L&T Finance Limited ("LTF") w.e.f. 12th April, 2021 under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred by Section 13(12) of the said Act read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notices calling upon the Borrower/Co-borrowers and Guarantors to repay the amount mentioned in the demand notice appended below within 60 days from the date of receipt of the said notice together with further interest and other charges from the date of demand notice till payment/realization. The Borrower/Co-Borrowers/ Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ Co-Borrowers/ Guarantors and public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein under in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 of the said Act read with rule 8 of the said Rules on this notice.

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिकृत ऑफिस : 602.6वां तल जौरी वन आई टी पार्क एसआर नं. 79/1 घोरघडी, मुंबा रोड, एण्ड - 411036 शाखा कार्यालय : यूनिट-एफफक 11, कुर्वे तल, मिरांडा हाईट, एलआइसी स्क्वायर के पास, ख.नं. 10/12, सौदी सर्वे नं. 1870 सैट नं. 137/29 मोजा सीतलवूडी, नामपुर 440001 महाराष्ट्र. ई-नीलामी बिक्री सूचना सारफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री सारफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री के लिए निम्नलिखित संपत्ति, मेम्मा हाउसिंग फाइनेंस के पास गिरी रखी गई वृत्त को अब निगमन प्रमाणपत्र के तहत पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएचएफएल) के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। सारफेसी अधिनियम की धारा 13(14) के तहत पीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसे हम कार्यालय के माध्यम से बेच सकते हैं लातू शुद्ध शुद्ध और निमत के साथ PHFL की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दी गई शर्तों का उल्लेख किया गया है। वर्गीकृत बेची गई प्रतिभूति हित (प्रवृत्त) नियमावली के नियम 8 और 9 के तहत बिना संसाधन के जो जहाँ है जैसा है उस अनुसार बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया PHFL / सिरावोर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट - www.poonawallahousing.com में दिए गए लिंक को देखें।